प्रेमिया उर्फ प्रेम प्रकाश

बनाम

राजस्थान राज्य

22 सितम्बर, 2008

[न्यायमूर्तिगण डॉ0 अरिजीत पसायत और डॉ0 मुकुंदकम शर्मा]

दण्ड संहिता, 1860:

धारा 354 – आवश्यक तथ्य – अवधारित किया गयाः जिस व्यक्ति पर हमला किया गया वह एक महिला होनी चाहिए – अभियुक्त द्वारा ने महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना, उसकी शील भंग करने के उद्देश्य से हो – केवल यह ज्ञान की महिला की शील भंग होने की संभावना है, बिना किसी जानबूझकर किए गए आशय के केवल अपने उद्देश्य के लिए ऐसा अपराध करना पर्याप्त है। तथ्यों पर, अभियोक्त्री के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा उसकी गरिमा को भंग किया गया, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया गया – इस प्रकार, सबूतों और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त की दोषसिद्धि को भा०दं०सं० की धारा 376 से धारा 354 में बदल दिया गया – अभियुक्त द्वारा 2 वर्ष की सजा भुगत लेने के बाद अभिरक्षा में ली गई सजा वह अवधि होगी जो पहले ही भुगत ली गई है।

धारा 228–ए – का उद्देश्य– अवधारित किया गयाः यौन अपराध की पीड़िता के सामाजिक उत्पीड़न या बहिष्कार को रोकना है – यह किसी भी मामले का नाम छापना या प्रकाशित करना, जिससे किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर हो सकती है, जिसके विरूद्ध धारा 376, 376–A, 376–B, 376–C और 376–D के अन्तर्गत अपराध का आरोप लगाया गया या दण्डनीय पाया गया – यह उचित होगा कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या विचारण न्यायालय के निर्णयों में पीड़िता का नाम दर्शाया न जाए – इस प्रकार, तथ्यों पर पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया।

बलात्कार के अपराध का अर्थ–

अभियोजन कथानक के अनुसार घटना वाले दिन अपीलाकर्ता ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। उसने विरोध करने की कोशिश की लेकिन अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वह दुबारा मदद के लिए चिल्लाई और पी0 डब्लू0–2 चाचिया सास वहाँ आ गई, फिर अभियुक्त घटना स्थल से भाग गया। दूसरे दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जाँच की गयी। गवाहों की परीक्षा की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री तथा पी०डब्लू०–02 के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अभियुक्त को धारा 376 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया और 7 वर्ष की सजा दी गयी। उच्च न्यायालय ने आदेश को कायम रखा, जिससे यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा

1.1 अभियोक्त्री के साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने उसकी शील भंग की, लेकिन उसके साथ बलात्कार नहीं किया। अभियोक्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि उसके साथ क्या हुआ लेकिन मोटे तौर पर गन्दे तरीके से हाथ लगाने का वर्णन किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई अस्पष्ट विलम्ब नहीं हुई। जहाँ तक अभियोक्त्री के गुप्तागों पर चोट न होने का प्रश्न है, इस संबंध में यह स्वीकृत तथ्य है कि वह एक विवाहित महिला है। जहाँ तक अभियोक्त्री के पति की चाची के साथ दुश्मनी का प्रश्न है, यह अस्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्र की एक विवाहित महिला उस अभियुक्त को झूठा फसाएगी, जिसके साथ उसकी या उसके पति की कोई दुश्मनी नहीं थी। [पैरा 9 और 10] [774 –डी–एफ].

1.2 भा०दं०सं० की धारा 354 के अन्तर्गत अपराध गठित करने के लिए केवल यह ज्ञान पर्याप्त है कि किसी महिला की शील को भंग करने की संभावना है भले ही कोई आशाय भंग किये जाने का जानबूझकर उद्देश्य न हो। लज्ञा की कोई एेसी अवधारणा नहीं है जो प्रत्येक मामले में समान रूप से लागू हो। शील भंग के आरोप वाले मामले की सुनवाई के समय न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भा०दं०सं० की धारा 354 के अन्तर्गत अपराध का आवश्यक तत्व यह है कि जिस पर हमला किया गया वह एक महिला होनी चाहिए; अभियुक्त ने उस पर अपराधिक बल का प्रयोग किया हो और ऐसा अपराधिक बल का प्रयोग महिला की लज्ञाभंग के आशय से उस पर किया गया हो। [पैरा 9 और 10][775–एफ–जी]

स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मेजर सिंह **ए०आई०आर० 1967 एस०सी० 63 – संदर्भित।**

1.3 भा०दं०सं० की धारा 354 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आशय का एकमात्र मानक नहीं है और यह किसी महिला पर हमला करने या अ◌ापराधिक बल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है; यदि वह जानता है कि इस तरह के कृत्य से महिला की गरिमा पर प्रभाव पडने की संभवना है। ज्ञान और आशय अनिवार्य रूप से मस्तिष्क के भीतर की चीज़ है और इन्हें भौतिक तथ्यों की तरह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। आशय अथवा ज्ञान के अस्तित्व को उन विभिन्न परिस्थितियों से अलग करना होगा जिनमें और जिन पर कथित अपराध किया गया है। लज्जाभंग एवं गरिमा भंग की पीड़िता की स्थिति एक घायल साक्षी के समान है और उसकी गवाही को वही महत्व मिलना चाहिए। प्रस्तुत मामले में साक्ष्यों का गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को भा०दं०सं० की धारा 354 के लिए दोषी पाया। अभियुक्त की सजा को भा०दं०सं० की धारा 376 से धारा 354 में बदल दिया जाता है। अभियुक्त करीब 2 वर्ष की सजा भुगत चुका है, यह घटना 1987 की है। कारावास की सजा वह अवधि होगी जो उसके द्वारा पहले ही बिताई जा चुकी है। [पैरा 13 और 14] [776–बी–ई]

को. लिट. 123–बी; 1 होन. 6, 1 ए, 9 एड. 4, 26 ए, हेल पीसी 628; स्टीफन द्वारा "दाण्डिक विधि" के 9 वें संस्करण पृष्ठ 262; 'अपराध एवं न्याय की इनसाइक्लोपीडिया' खण्ड 4, पृष्ठ 1356; *हैल्सबरीज़ स्टैट्यूट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स* **चतुर्थ संस्करण खण्ड 12 – संदर्भित।**

2. भा०दं०सं० की धारा 228–ए कुछ अपराध के पीड़ित की पहचान को उजागर किये जाने को दण्डनीय घोषित करता है। किसी भी मामले का नाम छापना या प्रकाशित करना, जिससे किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर हो सकती है। जिसके खिलाफ धारा 376, 376–A, 376–B, 376–C और 376–D के अन्तर्गत अपराध का आरोप लगाया गया है या पाया गया है उसे दण्डित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन पर लागू नहीं होता है। लेकिन धारा 228–ए जिस यौन अपराध के लिए बनाई गयी है, उसके पीड़ित के सामाजिक उत्पीड़न या बहिष्कार को रोकने के सामाजिक उद्वेश्य को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि निर्णय में, यदि इस न्यायालय का, उच्च न्यायालय का हो या विचारण न्यायालय का हो, पीड़िता का नाम नहीं दर्शाना चाहिए। निर्णय में उसे "पीड़िता" के रूप में वर्णित करने के लिए इसे चुना गया है। [पैरा 3] [772–एच; 773–ए–सी]

स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम पुट्टाराजा **2003 (8) सुप्रीम 364;** *दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान* **2006 (3) एस०सी०सी० 771– संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

2003 (8) सुप्रीम 364	**संदर्भित**	**3**
2006 (3) एस०सी०सी० 771	**संदर्भित**	**3**
ए०आई०आर० 1967 एस०सी 63	**संदर्भित**	**12**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1504

अपराधिक अपील सं० 243/1988 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एकल पीठ के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 03.07.2007 से उदभूत हुई।

अपीलकर्ता की ओर से अजीत कुमार पाण्डे।
प्रत्यार्थी की ओर से कुमार कार्तिकेय, रनीविजय और जतिन्दर भाटिया।

न्यायमूर्ति डॉ० अरिजीत पसायत की न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदत्त।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायधीश के निर्णय को इस अपील में चुनौती दी गई, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में

भा०दं०सं०) की धारा 376 के अन्तर्गत उसकी सजा को बरकरार रखा गया और विद्वान अपर सत्र न्यायालय सं0–2 हनुमानगण द्वारा 7 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया।

3. हम पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। भा०दं०सं० की धारा 228–ए कुछ अपराध में पीड़ित की पहचान को उजागर करने को दण्डनीय बनाती है। किसी भी मामले का नाम छापना या प्रकाशित करना जिससे किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर हो सकती हो, जिसके खिलाफ धारा 376, 376–A, 376–B, 376–C और 376–D के अन्तर्गत अपराध का आरोप लगाया गया हो या किया गया, पाया गया हो, उसे दण्डित किया जा सकता है। यह सच है कि यह प्रतिबंध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के मुद्रण या प्रकाशन से संबंधित नहीं है। लेकिन यौन अपराध के पीड़ित के सामाजिक उत्पीड़न या बहिष्कार को रोकने के सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 228–ए अधिनियमित की गई। यह उचित होगा कि निर्णय में चाहे वह इस न्यायालय का हो या उच्च न्यायालय या अवर न्यायालय का हो, पीड़ित का नाम नहीं दर्शाया जाना चाहिए। हमने निर्णय में उसे "पीड़िता" के रूप में वर्णित करने का विकल्प चुना है। (देखें *स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम पुट्टाराजा* **2003 (8) सुप्रीम 364;** *दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम स्टेट ऑफ राजिस्थान* **2006 (3) एस०सी०सी० 771).**

4. तथ्य की पृष्ठ भूमि संक्षेप में इस प्रकार है–

दिनांक 26.08.1987 को दोपहर 01.30 बजे, अभियोक्त्री द्वारा रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) दर्ज कराई कि पिछले दिन यानी 25.08.1987 को सुबह लगभग 09.00 या 09.30 बजे जब वह भिंया रायका के खेत में गई और वापस ग्राम बिरधवाल लौट रही थी। अभियुक्त प्रेमिया अचानक आया और उसे पकड़ लिया। इसके बाद अभियुक्त प्रेमीया ने उसे जमीन पर पटक दिया, अपना पायजामा उतार दिया, उसका घाघरा उठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो अभियुक्त प्रेमीया ने उसकी आँख पर वार कर दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। जब वह दुबारा से मदद के लिए चिल्लाई, तो उसकी चचिया सास चंदकौरी (पी०डब्लू०–2) आयी और उसका विरोध किया । इस पर अभियुक्त प्रेमीया घटना स्थन से भाग गया। दिनांक 26.08.1987 को दोपहर 02.00 बजे डॉक्टर द्वारा अभियोक्त्री की चिकित्सीय जाँच की गई। जाँच के बाद अभियुक्त के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियुक्त पर भा०दं०सं० की धारा 376 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसमें उसने दोषी नहीं होने का कथन किया था। दौरान मुकदमा अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को परीक्षित कराया। दं०प्र०सं०, 1973 की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेमिया का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने अपने बचाव में रामलाल नामक व्यक्ति को डी०डब्लू०–1 के रूप में पेश किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद अभियुक्त प्रेमिया को उपरोक्तनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने पीड़िता तथा चंदकोरी (पी०डब्लू०–2) के साक्ष्य पर विश्वास किया जिसे चश्मदीद गवाह बताया गया था।

6.अपील में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और उसे सजा देने के निष्कर्ष की पुष्टी की गई।

7. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने बहुत प्रासंगिक बिन्दुओं पर विचार नहीं किया, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी, बिना चोट के और पी०डब्लू०–2 तथा अभियुक्त के बीच की दुश्मनी लक्ष्मन द्वारा स्वीकार करना जो कि पीड़िता का पति है।

8. दूसरी ओर प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

9. कुछ तथ्यात्मक बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने में कोई अस्पष्ट देरी नहीं हुई। जहाँ तक पीड़िता के गुप्तांगो पर चोट का ना होने का संबंध है, माना कि वह एक विवाहिता थी, लेकिन पीड़िता के साक्ष्यों को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने उसका शील भंग किया लेकिन उसके साथ बलात्कार नहीं किया। अभियोक्त्री ने इस कृत्य के बारे में विशेष रूप से नहीं बताया, लेकिन इसे "हाथ लगाना" के रूप में वर्णित किया है।

10. चूंकि अभियोक्त्री के पति लक्ष्मण (पी०डब्लू०-4) की चाची से दुश्मनी की बात है तो यह स्वाभाविक नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र की एक विवाहित महिला उस अभियुक्त को झूठा फँसाएगी जिसके साथ उसकी या उसके पति की कोई दुश्मनी नहीं थी।

11. बलात्कार का अपराध भा०दं०सं० के आध्याय XVI में वर्णित है। यह मानव शरीर को प्रभावित करने वाला अपराध है। उस अध्याय में, यौन अपराध के लिए एक पृथक शीर्षक है। जिसके अन्तर्गत धारा 375, 376, 376-A, 376-B, 376-C तथा 376-D शामिल है। धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1983 द्वारा धारा 375 तथा 376 में मौलिक रूप से परिवर्तन किया गया है और नए अधिनियम द्वारा कई नई धाराएँ जोड़ी गई, जो कि 376-A, 376-B, 376-C और 376-D है। तथ्य यह है कि उक्त प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये यह बलात्कार के अपराध पर सख्ती से अंकुश लगाने की विधायिका की मंशा को दर्शाता है, जो एक महिला की गरिमा को प्रभावित करता है। बलात्कार का अपराध अपने सरलतम शब्दों में किसी महिला की सहमति के बिना, बलपूर्वक, भय या धोखे से उसका बलात्कार करना या किसी महिला के इच्छा के विरूद्ध बलपूर्वक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। 'रेप या रेप्टस' तब होता है जब एक पुरूष किसी महिला के साथ जबरदस्ती और उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाता है (को.लिट. 123-बी) या जैसा कि यह विस्तारपूर्वक परिभाषित किया गया है कि एक विशेष वर्ग से अधिक उम्र की किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध संभोग करना बलात्कार है या किसी महिला बच्चे की, उस उम्र से कम उम्र की, उसकी इच्छा से अथवा उसके इच्छा के विरूद्ध संभोग करना बलात्कार है। बलात्कार के मामले में आवश्यक शब्दावली रेप्यूट और कार्नालिटर काग्नोविट है। लेकिन कार्नालिटर काग्नोविट, किसी अन्य संदर्भों में बिना रेप्यूट शब्द के बलात्कार के विधिक अर्थ को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बलात्कार के मामले में संभोग का तात्पर्य है पुरूष अंग द्वारा कथित तौर पर ज्ञात किसी भी अंग का किसी भी स्तर का प्रवेशन। (स्टीफन के "दाण्डिक विधि" के 9वें संस्करण के पृष्ठ 262) 'अपराध और न्याय की इनसाइक्लोपीडिया' (खण्ड 4, पृष्ठ 1356) में यह प्रावधानित है कि "यहाँ तक कि मामूली प्रवेशन भी पर्याप्त है, उत्सर्जन आवश्यक नहीं है। *हैल्सबरीज़ स्टैट्यूट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स* के **चतुर्थ संस्करण के खण्ड 12** में, यह कहा गया है कि यहाँ तक कि न्यूनतम डिग्री का प्रवेशन भी संभोग को साबित करने के लिए पर्याप्त है। यह किसी महिला के निजी व्यक्तित्व की हिंसा के साथ-साथ हर तरह से अपमान है। अपराध की प्रकृति से ही यह सर्वोच्च श्रेणी का एक निकृष्टतम कार्य है।

12. भा०दं०सं० की धारा 354 के अन्तर्गत अपराध गठित करने के लिए केवल यह ज्ञान कि किसी महिला कि गरिमा बिना किसी जानबूझकर इरादे के अपमानित किया जा सकता है केवल अपने उद्देश्य के लिए ऐसा अपमान करना पर्याप्त है। ऐसी कोई अवधारणा नहीं है जो सभी मामलों पर लागू हो सके। (देखें *स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मेजर सिंह* **ए०आई०आर० 1967 एस०सी० 63)** शील भंग का आरोप लगाने वाले मामले से निपटते समय न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भा०दं०सं० की धारा 354 के अन्तर्गत अपराध के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:-

(i) यह कि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ हो वो महिला ही होगी;
(ii) यह कि अभियुक्त ने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया हो; और
(iii) यह कि महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग उसकी लज्जाभंग करने के इरादे से किया गया हो।

13. भा०दं०सं० की धारा 354 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का एकमात्र मानदण्ड आशय नहीं है, और यह किसी महिला पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, यदि वह जानता है कि इस तरह के कृत्य से महिला की विनम्रता प्रभावित होने की संभावना है। ज्ञान और आशय आवश्यक रूप से मस्तिषक के भीतर की चीज़ है और इन्हें भौतिक वस्तुओँ की तरह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। आशय या ज्ञान के अस्तित्व को उन विभिन्न परिस्थितियों से अलग करना होगा जिनमें और जिन पर कथित अपराध किया गया है। लज्जा भंग या गरिमा भंग की पीड़िता की स्थिति एक क्षतिग्रस्त गवाह के समान है और उसकी गवाही को वही महत्व मिलना चाहिए। वर्तमान मामले में साक्ष्यों पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया है। लेकिन अपराध भा०दं०सं० की धारा 354 का है।

14. इस मामले में हम अभियुक्त की सजा को धारा 376 भा०दं०सं० से बदलकर धारा 354 भा०दं०सं० कर देते हैं। अभियुक्त करीब 2 वर्ष की सजा भुगत चुका है। यह घटना 1987 की है। अभिरक्षा की सजा वह अवधि होगी जो पहले ही भुगत ली गई है। जब तक किसी अन्य मामले के संबंध में अभिरक्षा की आवश्यकता न हो, अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

15. अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकृत।

[1]

---

1 सुश्री प्रियंका, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-2 जनपद-बदायूँ